TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 4TH JANUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 4th January, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 973(E) dated the 14th December, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1 Land development construction, furnishing and equipments/medicines of Vishwabalak Kendra, by Children of the World (India) Trust, Tardeo, Mumbai, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1996-97, which was extended vide S.O.No. 399(E) dated 19th May, 1997 for a period of two more years beginning with assessment year 1998-99,

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Land development construction, furnishing and equipments/medicines of Vishwabalak Kendra, which is being carried out by Children of the World (India) Trust, Tardeo, Mumbai,, at the estimated cost of rupees one crore nineteen lakhs seventy two thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of two years beginning with assessment year 2000-2001.

(POMELA B. PRASAI
Director(National Committee)

No. 11194

F.No. NC-136/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में
दिनांक 4..जनवरी, 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक..4..जनवरी, 2000.

अधिसूचना

सां0आ0... (अ0) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 को जारी अधिसूचना सं0 सां0 आ0 973 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 1 पर चिल्ड्रन आफ दी वर्ल्ड (इण्डिया) ट्रस्ट ताड़देव, मुम्बई द्वारा विश्व बालक केन्द्र के लिए भूविकास, निर्माण, सुसज्जा और उपकरण/औषधियां देने को कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरंभ होने वाले अगले दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था, जिसे सां0 आ0 सं0 399 (अ0) दिनांक 19 मई, 1997 के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले दो और वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के चार वर्ष से अधिक चलने की संभावना है,

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिल्ड्रन आफ दी वर्ल्ड (इण्डिया) ट्रस्ट, ताड़देव, मुम्बई द्वारा चलाए जा रहे विश्व बालक केन्द्र के लिए भू विकास निर्माण, सुसज्जा एवं उपकरण/औषधियां उपलब्ध कराने सम्बन्धी स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र स्कीम अथवा परियोजना के रूप में मात्र एक करोड़ उन्नीस लाख बहत्तर हजार रुपए की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले और दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

4/1/2015

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (रा 0स0)

सं0 11195
फा0 सं0 एन0 सी0 136/99